[illegible] एवं आदेशिका शुल्क हेतु 100/– रूपये अदा किया गया।

प्रकरण पंजीयन पर तर्क हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण पंजीयन पर तर्क हेतु दिनांक 28/11/22 को पेश हो।

(तरुण चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
उदयपुरा, जिला रायसेन

28.11.2022

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री डी.एस. शर्मा द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद का अवलोकन किया गया।

परिवाद के अवलोकन से परिवादी द्वारा राशि 2,00,000/– रूपये के चेक के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। परिवाद के साथ विधि अनुसार 9000/– रूपये का न्यायालय शुल्क प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद विधि अनुसार सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात् विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों में स्वयं के बैंक खाता विवरण भी प्रस्तुत किये गये है।

धारा 142 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 (2) (अ) के अनुसार परिवादी द्वारा चेक उदयपुरा स्थित शाखा में प्रस्तुत किया गया था ऐसा प्रथम दृष्टया परिलक्षित है।

परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्य, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं परिवादी के धारा 145 के शपथ पत्र के आधार पर अभियुक्त जय गोपाल कृषि सेवा केन्द्र, प्रो. श्री पुरूपेन्द्र साहू, आत्मज–श्री रविशंकर साहू, निवासी पंजाब नेशनल बैंक के सामने, बरेली रोड सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. द्वारा प्रथम दृष्ट्या धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध कारित किया जाना प्रकट होने से उक्त अपराध का संज्ञान लिया गया।

प्रकरण आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किया जावें।

इसी प्रकम पर परिवाद प्रकथनों के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा चेक राशि 2,00,000/– के

PB—318—DCGCPB—19-1-22—2,00,000.

ORDER SHEET

COURT

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	संबंध में ब्याज दिलाये जाने का भी निवेदन किया गया है। परिवाद पत्र की प्रतिलिपि सहित तीन दिन की अवधि में आदेशिका शुल्क प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को साधारण रूप से, रजिस्टर्ड ए.डी. एवं ईमेल के माध्यम से सूचना पत्र जारी किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य तकनिकी माध्यम से तकनिकी विशिष्ट एड्रेस या कमांक प्रस्तुत किए जाने पर भी सूचना पत्र जारी किया जा सकेगा। अभियुक्त का पता दस्तावेजों की प्रतियां प्रदत्त किए जाने पर सूचना पत्र जारी किया जावे। परिवादी द्वारा 100 रूपये का निर्धारित आदेशिका शुल्क नियम 546, मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक), के प्रावधान अनुसार साधारण आदेशिका बाबत् समेकित कर दिया गया है। सूचना पत्र मे उक्त राशि अभियुक्त द्वारा परिवादी के बैंक खाते में जमा कराये जाने एवं परिणाम स्वरूप कार्यवाही समाप्त किये जाने के विकल्प के संबंध में सूचना पत्र में उल्लेख किया जावे। परिवादी द्वारा अभियुक्त का ईमेल आईडी प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह अभियुक्त का ईमेल आईडी बैंक से प्राप्त कर प्रस्तुत करे। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 23/12/22 को पेश हो। (वरूण चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा, जिला—रायसेन, म0प्र0	